रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1413] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937
No. 1413] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASADHA 11, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

का.आ. 1794(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12.01.2015 द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमानन स्प्रिट, डीजल तेल, मिट्टि का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनमें सिन्थेटिक तेल, लुब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में की सेवाओं में हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में शामिल हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2015 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 16 जुलाई, 2015 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97-आइआर (पीएल)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

S.O. 1794(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 12.01.2015 the services in Industry engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, Lubricating oils and the like which is covered by item 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 16th January, 2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purposes of the Act, for a period of six months with effect from 16th July, 2015.

[F. No. S.11017/ 6 / 97– IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.